

न्यायालय आरबीट्रेटर एवं जिला कलेक्टर दौसा

प्रा0पत्र सं0 20/2008 अंतर्गत धारा 3 जी(5) रा0रा0अ0

1. हरसहाय पुत्र हीरा सैनी जाति माली नि0 छोकरवाडा तह0 सिकराय
2. रम्बू उर्फ रामजीलाल पुत्र गंगल्या राम जाति माली नि0 छोकरवाडा तह0 सिकराय
3. रामस्वरूप पुत्र ग्यारसीलाल जाति माली निवासी सिकन्दरा तहसील सिकराय
4. रामावतार, श्योदान पि. रामनाथ सैनी जाति माली नि. भंडारी तह. सिकराय
5. विश्राम, गोकुल, महावीर पि0 रामरख गुर्जर जाति गुर्जर नि0 गिरधरपुरा तहसील सिकराय

—प्रार्थी

बनाम

1. भूमि अवाप्ति अधिकारी (सक्षम प्राधिकारी) उपखण्ड अधिकारी सिकराय तहसील सिकराय जिला दौसा।
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक क्रियान्वयन इकाई इन्द्रा कॉलानी, रोडवेज डीपो के सामने, दौसा जिला दौसा
3. तहसीलदार (भूमिधारी) सिकराय
4. आई.जे.एम. कंपनी जरिये जनरल मैनेजर, जवाहर नवोदय विधालय खेडली आगरा रोड दौसा के सामने जिला दौसा

—अप्रार्थीगण

मध्यस्थता अधिनियम के तहत भूमि अवाप्ति प्रकरण अवाप्त संपरिवर्तित भूमि की गणना में त्रुटि के बाबत प्रार्थना पत्र

- उपस्थित: 1. श्री मानसिंह गुर्जर, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री दीपक शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी सं0 2 की ओर से।
4. राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।
निर्णय

दिनांक 26.3.2025

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी सिकराय द्वारा ग्राम गिरधरपुरा के खसरा नंबर 75/4 के पारित मुआवजा अवार्ड आदेश से व्यथित होकर प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई।
3. अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए दलील दी कि ग्राम गिरधरपुरा तहसील सिकराय में स्थित खसरा नंबर 75/4 का नया खसरा नंबर 176/75 में से जो भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 11 फोरलेन के लिए अवाप्त की गई है जो प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है व उक्त भूमि पर प्रार्थीगण द्वारा पुख्ता निर्माण कर स्टोन आर्ट का कार्य कर रहे हैं और उक्त भूमि को वर्ष 1992 में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही से लगभग 17 वर्ष पूर्व ही वाणिज्यिक रूपांतरित करवा ली थी। उक्त भूमि प्रार्थी सं0 1 से 4 ने ग्राम गिरधरपुरा के विश्राम, गोकुल, महावीर पुत्र रामरख से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खसरा नंबर 75/4 में से राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 11 से 80 फीट छोड़कर कय की थी जिसमें प्रार्थी हरसहाय पुत्र हीरा की 125 वर्गगज भूमि, प्रार्थी रम्बू उर्फ रामजीलाल की 125 वर्गगज भूमि, प्रार्थी रामस्वरूप की 125 वर्गगज भूमि, प्रार्थी रामावतार, श्योदान की 125 वर्गगज भूमि है। प्रार्थीगण सं0 5 विश्राम, गोकुल वगै0 की खसरा नंबर 75/4 के खातेदार है जो खसरा नंबर 75/4 में से शेष बेची अवाप्त भूमि का प्राप्ति प्राप्त करने के अधिकारी है। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी सिकराय प्रार्थीगण की वाणिज्यिक भूमि की अवाप्ति की अधिसूचना के समय मार्केट वैल्यू डीएलसी दिनांक 12.5.2006 के आधार पर दर 950/-रु. प्रति वर्गफीट के हिसाब से माना है जिसका अवार्ड में

जिला कलेक्टर, दौसा



स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है लेकिन अप्रार्थी सं० 1 व अप्रार्थी सं० 4 ने मिलीभगत कर प्रार्थीगण के मुआवजे की गणना में हेराफेरी की है क्योंकि भूमि अवाप्ति अधिकारी ने एक वर्गमीटर के 2691 रूपये का मुआवजा देना तय किया गया है जो गलत है। एक वर्गमीटर में 10.76 वर्ग फीट होते हैं और एक वर्गमीटर वाणिज्यिक भूमि का मुआवजा 950/-रु० प्रति वर्गमीटर के हिसाब से 10222/-रु० एक वर्गमीटर बनते हैं। इस प्रकार प्रार्थीगण की अवाप्त वाणिज्यिक भूमि सही गणना दिनांक 12.5.2006 को अधिसूचना के समय मार्केट वैल्यू से बनती है जो प्रार्थीगण अप्रार्थीगण सं० 4 से प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थीगण सं० 1 से 5 की अवाप्त वाणिज्यिक संपरिवर्तित कुल भूमि 381.75 वर्गमीटर है व अवाप्त बारानी भूमि 250.57 वर्गमीटर है किन्तु प्रार्थीगण की वाणिज्यिक संपरिवर्तित भूमि की गणना करने में भूलवश भूमि अवाप्ति अधिकारी ने गलत गणना की है क्योंकि वाणिज्यिक संपरिवर्तित भूमि की मार्केट वैल्यू दिनांक 12.5.2006 को डीएलसी दर 950/-रु० प्रति वर्गफीट थी और इस प्रकार से एक वर्गमीटर वाणिज्यिक संपरिवर्तित भूमि की मार्केट वैल्यू 10222/-रु० होती है जिसके आधार पर प्रार्थीगण सं० 1 से 6 की संपूर्ण संपरिवर्तित वाणिज्यिक भूमि 381.75 वर्गमीटर भूमि का मुआवजा 3902248/-रु० बनते हैं। जिस पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त मार्केट वैल्यू और अवाप्ति की अधिसूचना से उक्त मामले के निस्तारण की दिनांक तक ब्याज भी प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थीगण सं० 1 से 5 सही प्रकार से गणना के आधार पर मुआवजा लेने को सहमत है और निर्माण व कृषि भूमि का मुआवजा अर्वाड में उल्लेखित दिनांक 12.5.2006 की मार्केट वैल्यू से देना तय किया को लेने को सहमत है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के कब्जे व स्वामित्व व रिकार्ड व मौके की स्थिति के अनुसार फोरलेन के लिए अवाप्त की गई वाणिज्यिक संपरिवर्तित भूमि सही गणना के आधार पर मुआवजा दिलवाने के आदेश फरमावें।

4. अधिवक्ता अप्रार्थी सं० 1 व 4 ने बहस में कथन किया कि पोत परिवहन, सड़क पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग, मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) केन्द्र सरकार नई दिल्ली ने व्यापक लोक हित को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के जयपुर-महवा खण्ड को चौड़ा करने हेतु भूमि अवाप्ति करने वास्ते भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी की गई जिसमें राजस्थान राज्य के जयपुर-महवा खण्ड के 120/000 कि०मी० से 228/000 कि०मी० के खण्ड को चौड़ा करने के लिए एवम चौड़ा करने के उद्देश्य से भूमि अर्जन के लिए उप खण्ड अधिकारी सिकराय को सक्षम प्राधिकारी प्राधिकृत किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए की उपधारा 1 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के जयपुर-महवा खण्ड के 120/000कि०मी० से 228/000 कि०मी० तक के भूखण्ड को चौड़ा करने फौर लेन कर उसका अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचारण के लिए अवाप्त की जाने वाली भूमि की अधिनियम की धारा 3ए के तहत अधिसूचना दिनांक 12.05.2006 को जारी की गई जिसे राजस्थान राज्य में अधिनियम की धारा 3 ए की उपधारा 3 के तहत सक्षम प्राधिकारी ने स्थानीय समाचार पत्रों राजस्थान भाषा में पत्रिका व दैनिक भास्कर में दिनांक 25.05.2006 को हिन्दी प्रकाशित कराया। धारा 3ए की अधिसूचना में भूमि की किस्म का प्रकाशन का अंकन किया गया। सक्षम प्राधिकारी ने इस अधिसूचना के स्थानीय प्रकाशन में इस तथ्य का उल्लेख किया है कि अर्जन की जाने वाली भूमि के हितबद्ध पक्षकार जिसका कि अवाप्त की जाने वाली भूमि में हित है। धारा 3ए के तहत जो अधिसूचना भारत के राजपत्र में दिनांक 12.05.2006 को जारी की गई व जिसका प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 25.05.2006 को किया गया में इस तथ्य का उल्लेख धारा 3 सी के तहत यदि कोई व्यक्ति अधिसूचना जारी करने के दिनांक से 21 दिवस के भीतर कोई आपत्ति सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है तो प्राधिकृत अधिकारी धारा 3 सी की उपधारा 2 के तहत सुनवाई का अवसर देकर उस आपत्ति को स्वीकार या अस्वीकार

जिला कलेक्टर, दोसा



करेगा। धारा 3 सी की उपधारा 3 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया निर्णय अंतिम होगा के संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति का 21 दिवस के भीतर धारा 3 सी (1) के तहत आक्षेप सक्षम प्राधिकारी को स्वयं लिखित रूप में या अपने प्लीडर के माध्यम से कर सकेगा। सक्षम प्राधिकारी उक्त आपत्तियों को सुने जाने का अवसर देगा व आदेश जारी करेगा तथा अधिनियम की धारा 3 सी (3) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3ए के तहत जारी अधिसूचना के परीपेक्ष में जो आपत्तियां की गईं उनका धारा उसी के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारण किया गया। प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 3डी के अन्तर्गत अवाप्त की जाने वाली भूमि की अधिसूचना जारी करने हेतु रिपोर्ट भेजी गई जिसके आधार पर सड़क परिवहन एवम राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिनियम की धारा 3डी के तहत भारत के राजपत्र में दिनांक 14.09.2006 को अधिसूचना जारी की गई। उक्त अधिसूचना में स्पष्ट रूप से इस तथ्य का उल्लेख है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूचित में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लमंगो से मुक्त होकर आत्यान्तिक रूप से केन्द्र सरकार में निहित हो जावेगी। साथ ही उक्त प्रकाशन में अवाप्तशुदा भूमि के हितबद्ध पक्षकारान/खातेदारान का नाम भी प्रकाशित कराया गया। अवाप्ताधीन भूमि की अधिसूचना का भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन होने पर स्थानीय समाचार पत्रों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक प्रकाशित करवाया गया तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत अवधि में अवाप्ताधीन भूमि भवन इत्यादि के स्वामियों से दावे, क्लेम/आपत्तियाँ आमंत्रित की गईं। खातेदार/हितधारियों को मुआवजों के संबंध में पूर्ण अवसर देते हुये सुनवायी की गयी तथा साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजीयात खसरा नं. 75/4 वाके ग्राम गिरधरपुरा के संबंध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने पर अवार्ड आदेश संबंधित हितधारी/खातेदार के पक्ष में पारित किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3जी के तहत अवाप्त शुदा भूमि का मूल्य एवम् निर्माण की मुआवजा राशि का निर्धारण कराया गया व राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3जी (7) में दिये गये निर्देशों की पालना में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि की गणना उपपंजीयक से प्राप्त निर्धारित डी एल सी दर के आधार पर किया गया। अवाप्तशुदा भूमि के सर्वे के दौरान पाये गये निर्माण आदि के मुआवजा का निर्धारण राजस्थान सरकार के बैसिक शिड्यूल ऑफ रेट के आधार पर किया गया। धारा 3एच (1) के तहत अवार्ड की राशि का भुगतान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सक्षम प्राधिकारी को जमा करा दिया गया है। एन. एच. एक्ट की धारा 3जी (7) के निर्देशों की पालना में सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुआवजा राशि निर्धारित की गई। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि की निर्धारित डी एल सी दर के मुताबिक मुआवजा राशि निर्धारित की गई व जिसके आधार पर अवाप्तशुदा वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 75/4 की अवाप्त शुदा रकबा 632.32 वर्गमीटर की अवाप्त अधिकारी द्वारा मुआवजा दर तय की गई जिसके लिए अवाप्त अधिकारी द्वारा उक्त अवाप्तशुदा भूमि आराजी खसरा नम्बर 75/4 में से अवाप्त शुदा रकबा कुल रकबा 632.32 वर्ग मीटर में से 381.75 किस्म व्यावसायिक व शेष 250.57 किस्म बारानी 3 की कुल मुआवजा राशि 13,86,887/- रुपये निर्धारित की गई। अवार्ड की राशि का भुगतान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा हितबद्ध व्यक्ति के नाम सक्षम अधिकारी को जमा करा दिया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा तथ्यों, मौके की स्थिति, व रिकॉर्ड के आधार पर मुआवजा राशि का अवार्ड आदेशित किया गया है। प्रार्थी ने नितान्त ही गलत आधारों पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज योग्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजीयात की वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ अवाप्त समपरिवर्तित भूमि की मुआवजा राशि 2691 रुपये प्रतिवर्ग निर्धारित की गयी है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा वाणिज्यिक भूमि की गणना प्रतिवर्ग फिट को आधार बनाते हुये 2601 रुपये


जिला कलेक्टर, दौसा



प्रतिवर्ग मीटर मुआवजा राशि निर्धारित की है। प्रार्थीगण नितान्त ही गलत आधारों पर मुआवजा राशि प्राप्त करना चाहता है जो खारिज योग्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा किरम वारानी 3 चाके ग्राम गिरधरपुरा की डीएलसी दर 177.92 रुपये प्रतिवर्ग मीटर के हिसाब से निर्धारित की गयी है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि की निर्धारित डी एल सी दर के मुताबिक मुआवजा राशि निर्धारित की गई व जिसके आधार पर अवाप्तशुदा वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 76/4 की अवाप्त शुदा रकबा 632.32 वर्गमीटर की अवाप्त अधिकारी द्वारा मुआवजा दर तय की गई जिसके लिए अवाप्त अधिकारी द्वारा उक्त अवाप्तशुदा भूमि आराजी खसरा नम्बर 76/4 में से अवाप्त शुदा रकबा कुल रकबा 632.32 वर्ग मीटर में से 381.75 किरम व्यावसायिक व शेष 250.57 किरम वारानी 3 की कुल मुआवजा राशि 13,00,887/- रुपये निर्धारित की गई। अवाई की राशि का भुगतान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा हितबद्ध व्यक्ति के नाम सक्षम अधिकारी को जमा करा दिया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा तथ्यों, मौके की स्थिति, व रिकॉर्ड के आधार पर मुआवजा राशि का अवाई आदेशित किया गया है। प्रार्थी ने नितान्त ही गलत आधारों पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज योग्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजीयात की वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ अवाप्त संपरिवर्तित भूमि की मुआवजा राशि 2691 रुपये प्रतिवर्ग निर्धारित की गयी है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा वाणिज्यिक भूमि की गणना प्रतिवर्ग फिट को आधार बनाते हुये 2691 रुपये प्रतिवर्ग मीटर मुआवजा राशि निर्धारित की है। भूमि के मुआवजे का निर्धारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। मिन उत्तरदाता द्वारा सक्षम प्राधिकारी के आदेशों की पालना में मुआवजा राशि जमा करवायी जाती है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त संपरिवर्तन आदेश के साथ जो नक्शा पेश किया गया है उस नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त खसरा नम्बरान् में जो भूमि संपरिवर्तित की गयी है जिस भूमि बाबत् प्रार्थीगणों द्वारा मुआवजा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है वह संपरिवर्तित आदेश प्रारम्भ से ही शून्य है क्योंकि परिपत्र दिनांक 24.02.2005 में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से राजस्थान सरकार सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सभी सम्भागीय आयुक्तों व जिला कलेक्टरों को जारी किया गया है। साथ ही दिनांक 20.11.2004 को भी राजस्थान सरकार राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र जारी कर राज भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि का अकृषि प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम 1992 के नियम 4 तथा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम 1959 के नियम 2 ख के संशोधित नियमों की स्थिति स्पष्ट करते हुये राजस्थान (ग्रुप-6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 10 (8) राज-6/2001 दिनांक 6.07.2004 जारी किया गया है। उक्त परिपत्रानुसार सभी प्रकार की सड़कों के किनारे उद्योग विभाग द्वारा जारी दूरी जो वर्तमान में 100 मीटर है केवल उद्योग स्थापना के संबंध में लागू होगी तथा आवासीय, वाणिज्यिक एवं पेट्रोल पम्प इत्यादि हेतु इण्डियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशा निर्देशों/मानदण्डों में परिवर्तन किया जाता है तो उक्त दूरी के संबंध में परिवर्तित निर्देश/मानदण्ड लागू होंगे। जारी दिशा निर्देशानुसार व परिपत्र के अनुसार वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूमि रोड के मध्य से 75 मीटर दोनों ओर छोड़कर होनी चाहिये आवासीय कार्य हेतु व पेट्रोल पम्प कार्य हेतु रोड के मध्य से 40 मीटर दोनों तरफ छोड़कर संपरिवर्तन किया जा सकता है जबकि उक्त प्रकरण में नक्शे के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि जो भूमि अवाप्त की गयी है वह राष्ट्रीय राजमार्ग के लगती हुई भूमि है। प्रार्थीगण द्वारा नितान्त गलत आधारों पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे निरस्त फरमाया जावे।

- राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि की निर्धारित डी एल सी दर के मुताबिक मुआवजा राशि निर्धारित की गई व जिसके आधार पर अवाप्तशुदा वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 76/4 की अवाप्त शुदा रकबा 632.32 वर्गमीटर की अवाप्त अधिकारी द्वारा मुआवजा दर तय की गई जिसके लिए अवाप्त


जिला कलेक्टर, दौसा

अधिकारी द्वारा उक्त अवाप्तशुदा भूमि आराजी खरारा नम्बर 76 /4 में से अवाप्त शुदा रकबा कुल रकबा 632.32 वर्ग मीटर में से 381.75 किरम व्यावसायिक व शेष 250.57 किरम बाराणी 3 की कुल मुआवजा राशि 13,00,887/- रुपये निर्धारित की गई। अवार्ड की राशि का भुगतान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा हितबद्ध व्यक्ति के नाम सक्षम अधिकारी को जमा करा दिया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा तथ्यों, मौके की स्थिति, व रिकॉर्ड के आधार पर मुआवजा राशि का अवार्ड आदेशित किया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजीयात की वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ अवाप्त संपरिवर्तित भूमि की मुआवजा राशि 2691 रुपये प्रतिवर्ग निर्धारित की गयी है। प्रार्थी ने नितान्त ही गलत आधारों पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसे खारिज फरमाया जावे।

6. हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
7. प्रकरण में मुख्य विवाद का बिन्दु यह है कि कौनसी डीएलसी दर लागू होगी। प्रार्थी द्वारा 950 रु0 प्रति वर्गफुट की दर से मुआवजे की मांग की जा रही है वहीं भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा 2691 रु0 प्रति वर्गमीटर की दर से मुआवजे का निर्धारण किया गया है। भूमि अवाप्ति अधिकारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसमें उनके द्वारा यह अंकित किया गया है कि ग्राम गिरधरपुरा की वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूमि की राशि प्रति यार्ड 2250 रु. तय की गई है जो कि प्रति वर्गमीटर 2691 रु0 बनती है जो कि सही है। उनके द्वारा डीएलसी की दरें भी प्रस्तुत की गई है जो इस प्रकार है:-

गांव का नाम	कृषि प्रति है0	कृषि प्रति वर्गमीटर	आवासीय प्रति वर्गमीटर	आवासीय प्रति यार्ड	व्यावसायिक प्रति वर्गमीटर	व्यावसायिक प्रति यार्ड
गिरधरपुरा	1779162	177.92	860.8	720	2691	2250

साथ ही पारित अवार्ड शिडयूल जी का अवलोकन किया जिसमें अन्य नजदीकी भूमियां जो कि कृषि भूमि की दर से मुआवजा निर्धारण 177.92 प्रति वर्गमीटर के रूप में किया गया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी सिकराय द्वारा प्रार्थीगण की अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा अवार्ड आदेश यथावत रखा जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक: 26 मार्च, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।



(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा